न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास एल.एन.सोनी आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 16/2018/अपील/आर्म्स एक्ट/बूंदी

दायरा दिनांकः 6.8.2018

अन्तर्गत धाराः आर्म्स एक्ट,1959

उनवान

अनिल जेन आत्मज पदम कुमार जेन जाति जैन निवासी ग्राम तालेडा तहसील तालेडा जिला बूंदी–राज0।

...अपीलार्थी

बनाम

राज0 सरकार जरिये जिला कलक्टर एव जिला मजिस्ट्रेट, बूंदी।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री राकेश प्रजापति अभिभाषक अपीलार्थी
श्री हरिश शर्मा राजकीय अभिभाषक रेस्पो0

निर्णय

दिनांक 3.6.2019

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बूंदी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) ने अपीलार्थी अनिल जेन द्वारा शस्त्र अनुज्ञापत्र चाहने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के संबध मे पारित आदेश कमांक/न्याय/2017/4970 दिनांक 8.6.2017 (संक्षेप मे अपीलाधीन आदेश) से अप्रसन्न होकर यह अपील आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि अपीलार्थी ने स्वयं व स्वयं की कृषि उपज तथा कीमती वस्तुओं की रक्षा एवं आत्मरक्षा के लिये रिवोल्वर बंदूक का शस्त्र अनुज्ञापत्र चाहने हेतु आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक बूंदी से रिपोर्ट तलब की गई। पुलिस अधीक्षक बूंदी ने रिपोर्ट दिनांक 19.3.2012 से जिसमे लाईसेन्स दिये जाने मे कोई आपत्ति नही होना वर्णित किया गया था किन्तु जिला कलक्टर एवं जिला मजि0 बूंदी द्वारा टालमटोल करते हुये कोई लाईसेन्स जारी नही किया गया। इसके उपरांत अपीलार्थी द्वारा कार्यालय मे सम्पर्क करने पर पुनः जांच रिपोर्ट भिजवाने बावत पुलिस अधीक्षक बूंदी को लिखा गया जिसके संदर्भ मे पुलिस अधीक्षक बूंदी द्वारा पत्रांक 3621 दिनांक 5.5.17 से प्रेषित रिपोर्ट के बिन्दू सं0 5 मे अपीलांट के विरूद्ध दर्ज प्रकरण सं0 497/14 राजीनामा के आधार पर बरी किया जाना व प्रकरण सं0 514/14 मे अपीलांट को संदेह का लाभ दिया जाकर बरी किया जाना वर्णित कर लाईसेन्स दिये जाने की अनुशंसा नही की गई। जिसके आधार पर अपीलांट को अपना पक्ष रखने का अवसर दिये बिना तथा आवेदन पत्र मे वर्णित तथ्यो पर गौर किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील आदेश कमांक 4970 दिनांक 8.6.2017 से अपीलांट का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जबकि अपीलांट को शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी किया जाना न्यायोचित था। अतः जेरअपील आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत तथा आर्म्स एक्ट व रूल्स मे निहित प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलांट को स्वयं व स्वयं की कृषि उपज तथा कीमती वस्तुओं की रक्षा एवं आत्मरक्षा के लिये शस्त्र अनुज्ञापत्र की आवश्यकता है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील आदेश दिनांक 8.6.2017 अपास्त कर अपीलांट को शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी किये जाने की आज्ञा प्रदान की जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे दिनांक 20.5.2019 को बहस अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अपीलार्थी ने आत्मरक्षा के लिये रिवोल्वर बंदूक का शस्त्र अनुज्ञापत्र चाहने हेतु आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किया गया। पुलिस अधीक्षक बूंदी ने रिपोर्ट दिनांक 19.3.2012 मे लाईसेन्स दिये जाने मे कोई आपत्ति नही होना वर्णित किया था इसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय ने शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी नही अपीलार्थी द्वारा कार्यालय मे सम्पर्क करने पर पुनः पुलिस अधीक्षक बूंदी से जांच रिपोर्ट तलब की गई। पुलिस अधीक्षक बूंदी ने पुनः प्रेषित रिपोर्ट कमांक 3621 दिनांक 5.5.17 के बिन्दू सं0 6 मे अपीलांट के विरूद्ध दर्ज प्रकरण सं0 497/14 राजीनामा के आधार पर बरी किया जाना

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग कोटा

व प्रकरण सं0 514/14 मे अपीलांट को संदेह का लाभ दिया जाकर बरी किया जाना वर्णित करते हुये लाईसेन्स दिये जाने की अनुशंसा नही करने पर अपीलांट को अपना पक्ष रखने का अवसर दिये बिना तथा आवेदन पत्र मे वर्णित तथ्यो पर गौर किये बिना ही आदेश क्रमांक 4970 दिनांक 8.6.2017 से अपीलांट का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया अतः जेरअपील आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत तथा आर्म्स एक्ट व रूल्स मे निहित प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलांट को स्वयं व स्वयं की कृषि उपज तथा कीमती वस्तुओं की रक्षा एवं आत्मरक्षा के लिये शस्त्र अनुज्ञापत्र की आवश्यकता है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त कर अपीलांट को शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी किये जाने की आज्ञा प्रदान की जावे।

4 विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस मे प्रकट किया कि पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बूंदी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 5.5.2017 मे शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी किये जाने की अनुशंषा नही की गई है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील आदेश से आवेदन पत्र निरस्त किया है। अतः: अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील आदेश मे किसी प्रकार की त्रुटि नही है। अतः अपील खारिज की जावे।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। अपीलार्थी द्वारा आत्मरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञापत्र चाहने हेतु आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुलिस अधीक्षक बूंदी से प्राप्त रिपोर्ट की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध पुलिस अधीक्षक बूंदी की रिपोर्ट क्रमांक 2508 दिनांक 19.3.2012 अनुसार अपीलांट को लाईसेन्स दिये जाने मे कोई आपत्ति नही होना वर्णित किया जाना प्रकट होता है। इसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के शस्त्र अनुज्ञापत्र आवेदन पत्र पर कोई विचार नही कर पत्र क्रमांक 2380 दिनांक 20.3.2017 से प्रकरण मे पुनः पुलिस अधीक्षक बूंदी से रिपोर्ट ली गई जिसके परिपेक्ष्य मे पुलिस अधीक्षक बूंदी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट क्रमांक 3621 दिनांक 5.5.2017 के बिन्दू सं0 5 मे "थानाधिकारी/वृताधिकारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर नया शस्त्र अनुज्ञापत्र दिये जाने की अनुशंसा नही गई"। जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश क्रमांक/न्याय/2017/4970 दिनांक 8.6.2017 से अपीलांट के आवेदन पत्र को निरस्त किया है। प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि उसको स्वयं व स्वयं की कृषि उप्रज तथा कीमती वस्तुओं की रक्षा एवं आत्मरक्षा के लिये शस्त्र अनुज्ञापत्र की आवश्यकता है। पुलिस अधीक्षक बूंदी द्वारा पत्रांक 3621 दिनांक 5.5.17 से प्रेषित रिपोर्ट के बिन्दू सं0 5 मे अपीलांट के विरूद्ध दर्ज प्रकरण सं0 497/14 राजीनामा के आधार पर बरी किया जाना व प्रकरण सं0 514/14 मे अपीलांट को संदेह का लाभ दिया जाकर बरी किया जाना वर्णित कर लाईसेन्स दिये जाने की अनुशंसा नही की गई। जबकि पूर्व मे प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 19.3.2012 मे लाईसेन्स दिये जाने मे कोई आपत्ति नही होना वर्णित किया गया था। उक्त उल्लेखित प्रकरणो मे अपीलांट को सजायाब नही किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। अपीलांट के तर्क के संदर्भ मे अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के संदर्भ मे पुलिस अधीक्षक बूंदी की पूर्व रिपोर्ट दिनांक 19.3.2012 तथा पत्रांक 3621 दिनांक 5.5.2017 से प्रेषित रिपोर्ट का समुचित परीक्षण नही किया तथा ना ही अपीलांट को सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया। पुलिस अधीक्षक बूंदी की रिपोर्ट दिनांक 5.5.2017 के बिन्दू सं0 5 मे वर्णित आपराधिक प्रकरण मु0 नं0 497/14 मे राजीनामा के आधार पर व मु0 नं0 514/14 मे संदेह का लाभ देकर अपीलांट को माननीय न्यायालय द्वारा बरी किया जाना प्रकट है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण मे समुचित तथ्यों का परीक्षण कर अपीलांट को सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर विधिसम्मत तथ्यात्मक आदेश पारित करना न्यायोचित था। अधीनस्थ न्यायालय के जेरअपील आदेश क्रमांक/न्याय/2017/4970 दिनांक 8.6.2017 मे उक्त तथ्यों का अभाव रहा है ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को न्यायोचित नही ठहराया जा सकता। परिणामस्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील आदेश क्रमांक/न्याय/2017/4970 दिनांक 8.6.2017 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांट को पक्ष प्रस्तुत करने का विधिवत अवसर प्रदान करते हुये उक्त विवेचित तथ्यों का समुचित परीक्षण कर शस्त्र अनुज्ञापत्र चाहने बावत प्रस्तुत आवेदन पत्र के संबध मे पुनः विधिसम्मत व तथ्यात्मक आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया जाता है।

6 निर्णय आज दिनांक 3.6.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(एल. एन. सोनी)
संभागीय आयुक्त
कोटा